

फा.सं.-11026/10/2017-एमएण्डई

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 07 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: शहरी कम्पोस्ट के संवर्धन पर नीति के तहत दिनांक 10.10.2016 के दिशा निर्देशों में संशोधन संबंधी।

20.01.2016 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के परिणामस्वरूप विभाग ने 10.02.2016 को शहरी कम्पोस्ट के संवर्धन पर नीति अधिसूचित की है। दिनांक 10.02.2016 की अधिसूचना के पैरा (ii) में उल्लेख किया गया है कि

शुरूआत में शहरी कम्पोस्ट का विपणन तथा संवर्धन मौजूदा उर्वरक कंपनियों के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। आने वाले समय में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिप्रमाणित कम्पोस्ट विनिर्माताओं तथा अन्य विपणन संस्थाओं को उर्वरक विभाग के अनुमोदन प्राप्ति के उद्देश्य से शामिल किया जा सकता है। विपणन करने वाली संस्था के माध्यम से बाजार विकास सहायता प्रदान की जाएगी।

2. अधिसूचित नीति के अनुसार शहरी कम्पोस्ट का सह-विपणन रसायन उर्वरकों सहित उर्वरक विपणन कंपनियों द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) के रूप में 1500 रुपये प्रति टन का प्रावधान किया गया है।

3. यद्यपि, उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार रसायन उर्वरकों सहित शहरी कम्पोस्ट का सह-विपणन पहले से शुरू किया गया है, यह महसूस किया गया कि शहरी कम्पोस्ट की बिक्री की मात्रा बढ़ाने तथा किसानों को वहन योग्य मूल्य पर कम्पोस्ट उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत विपणन नेटवर्क वाले कम्पोस्ट विनिर्माताओं को किसानों को पैक किए गए बैग के विक्रय तथा इसके लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) का दावा करने की अनुमति है। तदनुसार, जो कम्पोस्ट विनिर्माता बैग में शहरी कम्पोस्ट विपणन हेतु इच्छुक है उनको आईएफएमएस पोर्टल में पंजीकरण हेतु विपणन क्षेत्र तथा उन क्षेत्रों में थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता विवरण सहित दिशा निर्देशों के **अनुलग्नक-1** के तहत विभाग को आवेदन करना अपेक्षित है। कम्पोस्ट विनिर्माताओं को भी **अनुलग्नक-11** के अनुसार राज्य से पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

4. कम्पोस्ट विनिर्माताओं द्वारा किसानों को शहरी कम्पोस्ट की बैग के रूप में बिक्री हेतु एमडीए दावा करने हेतु नियम तथा शर्तें दिनांक 10.10.2016 (प्रति संलग्न) के कम्पोस्ट विपणन कंपनियों द्वारा शहरी कम्पोस्ट की बैग के रूप में बिक्री के दिशा निर्देशों में निम्नलिखित संशोधनों के साथ लागू होगी।

- शहरी कम्पोस्ट विनिर्माता को विपणनकर्ता के रूप में जैसे रसायन उर्वरक कंपनियों को विपणन एजेंसियों के रूप में शहरी कम्पोस्ट को बैग के रूप में विपणन तथा एमडीए दावा करने की अनुमति होगी।
- कार्यालय ज्ञापन की अन्य सामग्री में परिवर्तन नहीं होगा।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(डी.पी.श्रीवास्तव)
निदेशक (पीएण्डके)
टेलिफोन: 011-23389839

प्रति:

- i. सचिव, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- ii. सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के मुख्य सचिव
- iii. संयुक्त सचिव (पीएचई), संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- iv. निदेशक (एफए)/ निदेशक (वित्त)/सीए/वेतन एवं लेखा कार्यालय, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- v. सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासन के निदेशक (कृषि)
- vi. सभी कम्पोस्ट विनिर्माताओं के सीएमडी/एमडी
- vii. महानिदेशक, एफएआई, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली
- viii. अध्यक्ष, कचरा प्रबंधन एसोसिएशन, चौथा तल, गोपाल दास भवन, 28, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली
- ix. उर्वरक विभाग के सभी अधिकारी।
- x. निदेशक (एनआईसी) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

शहरी कम्पोस्ट विनिर्माता/नगरपालिका का विवरण

- i. शहरी कम्पोस्ट विनिर्माण कम्पनी का नाम
- ii. शहरी कम्पोस्ट संयंत्र का पता
- iii. विनिर्माता के पंजीकृत कार्यालय का पता
- iv. विनिर्माता का टिन नं.
- v. विनिर्माता का पैन नं.
- vi. नगर निकाय का नाम तथा जिसके साथ विनिर्माता को सम्बद्ध किया गया है।
- vii. नगर निकाय निकाय तथा विनिर्माता के बीच संविदा कार्यकाल
- viii. एमएसडब्ल्यू का प्रति दिन इनपुट
- ix. स्थापित क्षमता (वार्षिक एमटी में)
- x. शहरी कम्पोस्ट का ब्रांड नाम
- xi. सम्पर्क व्यक्ति का नाम, मोबाइल नं तथा ई मेल आईडी
- xii. बैंक खाते का विवरण जैसे खाता सं., आईएफएससी कोड, खाता धारक का नाम (खाता कम्पनी तथा नगर पालिका अथवा नगर पालिकाओं के नाम होना चाहिए जैसी भी मामला हो), बैंक का पता

तिथि:

स्थान:

कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम मोहर सहित)

सेवा में

संयुक्त सचिव
एमएण्डई प्रभाग
उर्वरक विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रमाणित किया जाता है कि (कम्पनी का नाम पता, पंजीकरण सं. आदि सहित) कम्पोस्ट विनिर्माता है, जिसका (संयंत्र स्थल का पता) में विनिर्माण संयंत्र है, को (कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का पता) शहरी कम्पोस्ट के विनिर्माण हेतु (नगर पालिका का नाम तथा पता) के साथ जोड़ा गया है तथा यह सतत आधार पर शहरी कम्पोस्ट के उत्पादन हेतु सक्षम है।

राज्य के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम, मोहर सहित)

फा.सं.-11026/10/2017-एमएण्डई
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 07 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: शहरी कम्पोस्ट के संवर्धन पर नीति के तहत किसानों को कम्पोस्ट विपणन कम्पनियों द्वारा शहरी कम्पोस्ट की थोक बिक्री पर दिनांक 09.01.2017 के दिशा-निर्देशों में संशोधन।

शहरी कम्पोस्ट की बिक्री की मात्रा बढ़ाने तथा किसानों को वहनीय मूल्य पर कम्पोस्ट उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा विपणन व्यवस्था के अलावा विभाग के साथ पंजीकृत उर्वरक विपणन कम्पनियों को शहरी कम्पोस्ट के संवर्धन पर नीति के तहत तथा एमडीए दावा हेतु किसानों को थोक में शहरी कम्पोस्ट के विक्रय की अनुमति है। एफसीओ, 1985 के खंड 22 (सी) के अनुसार शहरी कम्पोस्ट की थोक बिक्री हेतु उर्वरक विपणन कम्पनियों को इसके लिए अधिसूचना जारी करने हेतु सरकार को आवेदन करना होगा। तदनुसार, जो उर्वरक कम्पनियां थोक में शहरी कम्पोस्ट के विपणन हेतु इच्छुक हैं उन्हें प्रपत्र-1 के तहत विभाग को आवेदन करना अपेक्षित है।

2. कम्पोस्ट विपणन कम्पनियों द्वारा किसानों को शहरी कम्पोस्ट की थोक बिक्री हेतु एमडीए दावा करने के लिए नियम व शर्तें दिनांक 09.01.2017 (प्रति संलग्न) के कम्पोस्ट विनिर्माताओं द्वारा शहरी कम्पोस्ट की थोक बिक्री हेतु दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित संशोधनों के साथ लागू होगी:

- उर्वरक विपणन कम्पनियां जैसे कम्पोस्ट विनिर्माताओं को विपणनकर्ता के रूप में थोक में शहरी कम्पोस्ट के विपणन तथा एमडीए दावा करने की भी अनुमति है।
- 14 का पृष्ठ सं. 1 पैरा क (ii), (iii) तथा (iv) को केवल उर्वरक विपणन कम्पनियों के लिए हटाया समाप्त किया जाए, कम्पोस्ट विनिर्माताओं के लिए नहीं।
- पैरा 6 (14 का पृष्ठ सं. 6) के तहत कम्पोस्ट विनिर्माता विपणनकर्ता के रूप में तथा उर्वरक विपणन कम्पनियों सीधे एमडीए दावा पर सकती है अर्थात् एमडीए की आवश्यकता को नगरपालिका के माध्यम से समाप्त किया गया है। पैरा क (i) संबंधित नगरपालिका द्वारा शहरी कम्पोस्ट की बिक्री हेतु केवल एमडीए के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा जहां यह विनिर्माता तथा विपणनकर्ता है।
- कार्यालय ज्ञापन की अन्य सामग्री में परिवर्तन नहीं होगा।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(डी.पी.श्रीवास्तव)
निदेशक (पीएण्डके)
टेलिफोन: 011-23389839

प्रति:

- सचिव, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के मुख्य सचिव
- संयुक्त सचिव (पीएचई), संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- निदेशक (एफए)/ निदेशक (वित्त)/सीए/वेतन एवं लेखा कार्यालय, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासन के निदेशक (कृषि)
- सभी उर्वरक विपणन कम्पनियों के सीएमडी/एमडी
- महानिदेशक, एफएआई, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली

- viii. अध्यक्ष, कचरा प्रबंधन एसोसिएशन, चौथा तल, गोपाल दास भवन, 28, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली
- ix. उर्वरक विभाग के सभी अधिकारी।
- x. निदेशक (एनआईसी) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

शहरी कम्पोस्ट की थोक बिक्री हेतु उर्वरक विपणन कम्पनियों का विवरण

1. विभाग में पंजीकृत उर्वरक कम्पनी का नाम
2. कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का पता
3. सम्पर्क व्यक्ति, टेलि सं. मोबाइल न. तथा ई मेल आदि
4. कम्पनी का विपणन क्षेत्र
5. कम्पोस्ट विनिर्माता का नाम जिनके साथ समझौते की अवधि सहित समझौता किया गया है।
6. पेन, टिन तथा जीएसटी संख्या
7. विपणन हेतु ब्रांड नाम

कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम मोहर सहित)